(Authoritative English Text of this Department notification No. LEP-A003/14/2023 dated 24th May, 2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Labour Employment & Overseas Placement

****

No. LEP-A003/14/2023 Dated Shimla-171002 the 24th May, 2025

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 40 and 62 read with section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Expert Committee, constituted under section 5 of the said Act is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's notification No. Shram (A)4-6/2007-BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:-

Short-titled and commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of Rule 266

2. In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (3) of rule 266.-

(a) sub-clause (d) of clause (i) shall be deleted.

(b) In clause (ii) for the words and sign, "respective Councillor/Member of Ward Sabha in Municipal Corporation Area" the words and signs

"JE/SDO/Executive Engineer or any other officer authorized by the Commissioner of the Municipal Corporation" shall be substituted.

Addition of new sub-rule (4) under rule 280

3. after sub-rule 280(3) the following new sub-rule shall be added, namely:-

"(4) Subject to prevailing/ time to time guidelines/ norms fixed by National Health Authority, Government of India under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB PM-JAY), registered workers of the HP BOCW Welfare Board will be covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB PM-JAY) and HIMCARE."

Amendment of rule 285

4. In rule 285, after sub-rule (2), the following new sub-rules shall be added, namely:-

"(3) The time period for submission of claims by the beneficiaries to HPBOCW Welfare Board offices shall be 6 months from the happening/ completion of instances.

(4) If, more than one member of a family is registered with the Board, only one member of the family/ beneficiary shall be eligible to claim the financial assistance for dependents under various schemes of the Board."

By order,

Ritesh Chauhan
Secretary(LE & OP) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. LEP-A003/14/2023 Dated Shimla-171002 the 24th May, 2025

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02.
2. The LR-Cum-Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02.

3. The Joint Secretary (GAD) to the Govt. of Himachal Pradesh w.r.t. Cabinet decision under item No. 12 held on 05-04-2025.
4. The Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh, Shimla-01.
5. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
6. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
7. The Secretary-cum-CEO, HP BOCW Welfare Board, Old SDM office, Gandhi Chowk, Hamirpur, H.P.
8. Guard file.

(Amar Singh)
Deputy Secretary (LE & OP) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph. No. 0177 2628496

****

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

संख्याः एल.ई.पी.–ए003 / 14 / 2023 तारीखः शिमला–171002 24 मई, 2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के साथ पठित धारा 40 तथा 62 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4–6 / 2007–बी.ओ.सी.डब्ल्यू, तारीख 4 दिसम्बर, 2008 को अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) संशोधन, नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 266 का संशोधन.– 2 हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 266 में,–

(क) उप–नियम (3) के खण्ड (i) के उप–खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा।

(ख) उक्त नियम के नियम (3) के खण्ड (ii) में, ''नगर निगम क्षेत्र में सम्बन्धित पार्षद / वार्ड सभा के सदस्य'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''नगर निगम के आयुक्त द्वारा प्रधिकृत कनिष्ठ अभियन्ता / उपखण्ड अधिकारी / कार्यकारी अभियन्ता या अन्य अधिकारी'' शब्द और चिन्ह रखे जाऐंगे।

नियम 280 के नए नियम (4) का जोड़ा जाना.– 3. उक्त नियमों के नियम 280 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''(4) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा आयुष्मान

भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.–पी.एम.–जे.ए.वाई) के अधीन प्रचलित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/ सन्नियमों के अध्यधीन, हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत कर्मकार आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.–पी.एम.–जे.ए.वाई) और हिमकेयर के अधीन आएंगे।''।

नियम 285 का संशोधन। 4. उक्त नियमों के नियम 285 के उप–नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप–नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

''(3) हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालयों के हिताधिकारियों द्वारा दावे प्रस्तुत करने हेतु समय अवधि आवेदन के घटित होने/ समापन होने से छह माह होगी।

(4) यदि कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्य बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हैं, तो दावे करने वाले कुटुम्ब/ हिताधिकारी का केवल एक ही सदस्य बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आश्रितों के लिए वित्तिय सहायता का दावा करने का हकदार होगा।''।

आदेश द्वारा,

रितेश चौहान
सचिव(श्र0रो0 एवं वि0नि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठाकन संख्या एल.ई.पी.–ए003/14/2023 तारीखः शिमला–2 24 मई ,2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
3. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) को 05.04.2025 को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मद संख्या 12 पर लिए गए निर्णय के बारे।
4. श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7. सचिव, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड, ओल्ड एस.डी.एम. कार्यालय, गांधी चौकी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
8. गार्ड नस्ति।

(अमर सिंह)
उप सचिव(श्र0रो0 एवं वि0नि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।